कार्यालय जिला शिक्षा अधीक्षक, राँची

आवश्यक सूचना (द्वितीय चरण–अवधि विस्तार संबंधी)

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (आर.टी.ई). के अंतर्गत सत्र 2025–26 में प्रवेश कक्षा के 25 प्रतिशत शेष रिक्त सीटों पर द्वितीय चरण द्वारा ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण करने संबंधी तिथि विस्तारित करने के संबंध में

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (C) एवं विभागीय अधिसूचना संख्या 237 दिनांक 16.02.2016 एवं कार्यालय पत्रांक 1120 दिनांक 11.04.2025 के आलोक में अभिवंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के नामांकन के प्रथम चरण की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। प्रथम चरण के नामांकन के पश्चात् विद्यालयों में कुछ सीटें रिक्त रह गयी है।

रिक्त सीटों पर द्वितीय चरण में नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि 20.09.2025 तक विस्तारित किया जाता है।

द्वितीय चरण में नामांकन के लिए पूर्व में दिनांक 02.09.2025 को प्रकाशित विज्ञापन की शर्ते यथावत होंगी।

ह0/–
जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–अपर जिला कार्यक्रम
पदाधिकारी–सह–नोडल पदाधिकारी, RTE, राँची।

ज्ञापांक : 2726 राँची/ दिनांक 15-09-25

प्रतिलिपि : जिला जन संपर्क पदाधिकारी, राँची जिला का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि दिनांक 16.09.2025 के अंक में स्थानीय तीन समाचार पत्रों में उपयुर्क्त सूचना के प्रकाशन करना सुनिश्चित किया जाए।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, राँची जिला का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि जिले के वेबसाइट www.ranchi.inc.in पर संबंधित सूचना को अपलोड करने की कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए।

प्रतिलिपि : मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय, राँची जिला के प्राचार्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी एवं प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/अवर विद्यालय निरीक्षक राँची 01 एवं 02, राँची जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय के रिक्त सीटों के संबंध में व्यापक प्रचार–प्रसार करते हुए स्थानीय योग्य छात्र–छात्राओं का आवेदन करवाना सुनिश्चित करेंगे।

15/09/25

जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–अपर जिला कार्यक्रम
पदाधिकारी–सह–नोडल पदाधिकारी, RTE, राँची।